



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042021-226609
CG-DL-E-15042021-226609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1505]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2021/चैत्र 23, 1943

No. 1505]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2021/CHAITRA 23, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 1616(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट मेरठ गढ़मुक्तेश्वर खण्ड (रा.रा.-709ए) का रा.रा.-119 से रा.रा.-58 बाईपास मेरठ शहर को जोड़ता है, के किमी. 0 किमी. से 13.4 किमी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ गढ़मुक्तेश्वर खण्ड (रा.रा.-709ए) का रा.रा.-119 से रा.रा.-58 बाईपास मेरठ शहर को जोड़ता है, के किमी. 0 किमी. से 13.4 किमी. तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	अपर जिला अधिकारी , (भू0अ0)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के कि.मी. 0 से 13.4 तक	उत्तर प्रदेश	मेरठ	सरधना	1	मौहम्मदपुर हायक
						2	पनवाडी
						3	दौराला
						4	बहराला
						5	कैलौता
						6	धन्जू
						7	दुल्हेडा चौहान
						8	मामूरपुर उर्फ देदवा
						9	खनौदा
						10	मैथना इन्द्र सिंह
						11	मुख्त्यारपुर नंगला
					सदर	1	सलारपुर जलालपुर
						2	उल्देपुर
						3	सिखैड़ा
						4	बहचौला

[फा. सं. 55011/3a1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2021

S.O. 1616(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act

with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land of Meerut Garhmukteshwar Section (NH-709A) connecting NH-119 to NH-58 bypassing Meerut Town.from Km. 0.00 to Km. 13.4 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on Meerut Garhmukteshwar Section (NH-709A) connecting NH-119 to NH-58 bypassing Meerut Town.from Km. 0.00 to Km. 13.4 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	ADM LA Meerut	0KM To 13.4KM	UTTAR PRADESH	MEERUT	Sardhana	1 Mohammadpur Hayak
						2 Panwari
						3 Daurala
						4 Bahrala
						5 Kailota
						6 Dhanju
						7 Dulehra Chauhan
						8 Mamurpur urf Dedwa
						9 Khanuda
						10 Maithna Indersingh
						11 Mukhtyarpur Nagla
					sadar	1 Salarpur Jalalpur
						2 Uldeypur
						3 Sikhera
						4 Bahchaula

[F. No. 55011/3a1]

RAJESH GUPTA, Director